पीठासीन अधिकारी : श्री ओ0पी0 चन्देलिया

प्रकरण सं0 : 40/2023

अनवान :

दरियासिंह पुत्र बनवारी लाल जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. बनवारी लाल पुत्र सूरजाराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
2. सुभाष पुत्र बनवारी लाल जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
3. निर्मला पुत्री बनवारी लाल जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. उपपंजीयक भादरा।
6. एसबीआई बैंक भादरा हिसार बस स्टैंड जरिऐ शाखा प्रबंधक भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री भानूप्रताप एवं वकील प्रतिवादीगण श्री चरणसिंह पूनियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 267/252 के ख0सं0 177/2 की 0.7590है0, ख0सं0 612/2 की 1.2350 है0, ख0सं0 517/1 की 1.8760है0, ख0सं0 693/3 की 1.7640है0 कुल खसरा 4 की कुल 5.6340है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 बनवारी लाल के नाम दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 बनवारी लाल अकेले की बजाय वादी दरियासिंह, प्रतिवादी सं0 1 बनवारी लाल, प्रतिवादी सं0 2 सुभाष व प्रतिवादी सं0 3 निर्मला को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03-06-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

03-06-24

(ओम प्रकाश चन्देलिया) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.06.19 10:29:48 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner